न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 24/2022 सुनील वगैरह बनाम कोलाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी, पैत्रक कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 194 रकबा 4.4434 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 209 रकबा 7.2762 हेक्टेयर कुल रकबा 11.7176 हेक्टेयर ग्राम जांगूवास तहसील लूणी में आई हुई है। इसी प्रकार खसरा नंबर 313 रकबा 8.5065 हेक्टेयर खसरा नम्बर 322 रकबा 0.0162 हेक्टेयर खसरा नम्बर 323 रकबा 10.3599 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 352 रकबा 0.0162 हेक्टेयर कुल रकबा 18.8988 हेक्टेयर ग्राम भाचरणा तहसील लूणी में आई हुई है जिसे आगे के पदों मे विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा थानाराम जी के वारिस है। यह है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व मे थानाराम पुत्र साहिबराम जी के कब्जा काश्त हक अधिकार की कृषि भूमि थी जिस पर थानाराम जी काश्त करते थे। थानाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनके तमाम वारिस एव उतराधिकारी प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण काबिज हुए तथा संयुक्त रूप से काश्त करने लग गये। खसरा नंबर 194 एव 209 रकबा 11.7196 हेक्टेयर भूमि थानाराम जी की थी जिसमे प्रार्थीगण के पिता का 1/4 हिस्सा एंव अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता था इसी अनुरूप काबिज हुए तथा काश्त करने लग गये तथा मौके पर प्रार्थीगण की ढाणीया बनी हुई है जिसमे बिजली पानी का कनेक्शन भी लिया हुआ है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 313, 322, 323, 352 भूमि में प्रार्थीगण का 1/32 का 1/4 अर्थात 1/128 एंव अप्रार्थीगण का प्रत्येक 1/128 1/128, 1/128 हिस्सा बनता है उसी अनुरूप मौके पर काबिज है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण के पिता घेवरराम जी काबिज रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण निरंतर तौर पर काष्त कर रहे है। रहवासीय ढाणियो मे वर्षो से काबिज रहे है जो अधिकार उन्हे पिता एवं उनके पिता से बाई वर्थ अधिकार प्राप्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैत्रक कृषि भूमि है परन्तु राजस्व रेकार्ड में एक मात्र अप्रार्थी संख्या 1 का नाम ही इन्द्राज है परन्तु अब उक्त नाम का दुरूपयोग कर अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 3 के बहकावे एंव दबाब में आकर प्रार्थीगण के हक हिस्से को बैचान हस्तान्तरण एंव प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू पेश किया जा रहा है कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के हक हिस्से का बेचान हस्तान्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतू भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ईष्वरसिंह द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जवाब बाबत् पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब बंद किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में कथन किया की खेत ख.स. 194 रकबा 4.4434 है. एवं ख.स. 209 रकबा 7.2762 है.	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

ग्राम जांगूवास तहसील लूणी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है, न ही प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त रहा है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से थानाराम के चारो पुत्रो के नाम दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2030 में कोलाराम पुत्र थानाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि नही है। इसी प्रकार ख.स. 313 रकबा 8.5065 है., ख.स. 322 रकबा 0.0162 है., ख.स. 323 रकबा 10.3599 है एवं ख.स. 352 रकबा 0.0162 है. कृषि भूमि वाके ग्राम भाचरण तहसील लूणी की उक्त भूमि में भी सेटलमेन्ट के समय से अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम का नाम दर्ज है। इस कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि नही रही है। प्रार्थीगण ने सारे तथ्य झूठे व गलत उल्लेखित किए है। उक्त कृषि भूमिया अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की स्वअर्जित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने थानाराम पुत्र साहिबराम के कब्जे व काश्त के अधिकार की भूमि होना गलत बताया है। रेवेन्यु रेकर्ड से स्पष्ट होता है कि सेटलमेन्ट के समय से थानाराम के चारो पुत्रो के नाम उक्त भूमि दर्ज है। थानाराम ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही किया है तथा न ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से काश्त की है। खसरा नम्बर 194 एवं 209 रकबा 11.7176 हैक्टेयर भूमि थानाराम जी के नाम कभी भी नही है। उक्त भूमि थानाराम के चारो पुत्रो के नाम रही है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण के पिता ने भी उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही की है क्योकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम के नाम खातेदारी चली आ रही है तथा आज भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काश्त कर रहे है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी बनी हुई है, न की प्रार्थीगण की ढाणी बनी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा उक्त भूमि पर नहीं बनता है तथा उक्त भूमि पर आज भी मौके पर काश्त अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम ही कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता घेवरराम ने कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नही की है। कानूनन का यह सिद्धान्त है कि पिता की जीवित अवस्था में पुत्र या पौत्र किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि में हक व अधिकार नही रखते है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम की खातेदारी की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक व हिस्से की भूमि पर करीब 50–60 सालो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पैतृक भूमि होने का दावा पेश किया है लेकिन दावे के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि पैतृक हो। अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम का कब्जा व काश्त है तथा स्वयं आज भी उक्त भूमि की इच्छानुसार काश्त कर रहा है उक्त भूमि का खातेदार है। इस कारण वो अपने हक व हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण व मुन्तकिल कर सकते है। जिसे कानूनन किसी भी व्यक्ति को रोकने का कतई अधिकार नही है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 किसी के भी बहकावे व दबाव में आकर बेचान करनें का सवाल ही उठता है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो उनके बेदखल करने का सवाल ही नही बनता है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उक्त भूमि को पुश्तैनी बताकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता। इस कारण ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते है क्योकि प्रार्थीगण न तो खातेदार है न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा है। इस कारण अपूर्णीय क्षति होना सवाल ही नही उठता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्र मय हर्जे व खर्चे सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

पत्रालवी का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की बहस सूनी गई। पत्रावली के अवलोकन के यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार विवादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा उक्त भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा–काश्त प्रतीत होता है। प्रार्थीगण ने विवादग्रस्त भूमिया पैतृक होने का दावा किया है परंतु इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि पैतृक हो। जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमिया पैतृक भूमिया है, इस हेतु मूल वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता के जीवित रहते पुत्र या पौत्र को कृषि भूमि में कोई कानूनी हक या अधिकार नहीं होता है। काश्तकार (जिसके नाम पर भूमि दर्ज है) को ही भूमि पर अधिकार और नियंत्रण होता है। पुत्र या पौत्र संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस पर स्वामित्व नहीं रख सकते है। पुत्रों का पैतृक संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है, जब संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवष्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होती है। उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम न्यायहित में खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 02-7-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी